

Form LTC

[Rule 163E (6)]

06/Pol.-66/2016

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No. 299/2016

Dated : 19/10/16

1. A License is hereby granted to Sri Vinay Kumar Singh, S/O- Sri Hari Singh, Vill-Naya Nagar, Dularpur, P.O- Naya Nagar, Dist- Begusarai to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building Vinay Auto Service, Susil Nagar, NH-31, Singhaul, Dist- Begusarai, Pin-851134. The PTS is authorized to test the following types of vehicles:-

- (a) Petrol
- (b) Diesel
- (c) Petrol Diesel both

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from : 20-10-2016 to 19-10-2018

Date :
Seal :

No. 9393
20/10/16

Signature of Licensing Authority
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

The license is hereby renewed from 20-10-2016 to 19-10-2018.

(Signature of License Authority)

उप सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापक-

6219

पटना, दिनांक-

19/10/16

बिहार, पटना

- प्रतिलिपि : 1. श्री विनय कुमार सिंह, पिता-श्री हरि सिंह, ग्राम-नया नगर, दुलारपुर, पो0-नया नगर, जिला- बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. आई. टी. मैनेजर को विभागीय बेवश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature of Licensing Authority)

नोट: यह अनुज्ञप्ति पारपृष्ठ पर उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

1. एक वर्षापूर्व परीक्षा का संधारण, जिसमें प्रदूषण उत्सर्जन स्तर के लिये जांच किये गये मोटर वाहनो की विशिष्टियों का उल्लेख रहेगा ।
2. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या ।
3. जांच किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबंधन का वर्ष ।
4. निरीक्षण के समय गैस/धुएं का स्तर/कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत ।
5. निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिमाण तथा निर्गत प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देने हुए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के अभाव में वह के बीच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना ।
6. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र या निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना साथ ही केन्द्र द्वारा संधारित सभी प्रमाण पत्र अभिलेख संरक्षित कराना ।
7. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को किसी भी स्थान को दूर करना, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन ।
8. बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली 2003 के नियम 163 ग के अधीन विहित शर्तों से अधिक प्रचारित नहीं करना ।
9. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिखित अनुमोदन के बिना जांच केन्द्र को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्रस्तुत से न हटाना ।
10. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिये मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन की जांच प्रमाण पत्र जारी की जायेगी तथा उन्हें जांच केन्द्र का मालिक अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शीघ्र देना ।
11. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक कवान को संकेत देते हुए प्रदूषण जांच केन्द्र नामक पत्र को जहाँ कोई सहज दृश्य स्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित होंगे ।
12. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की 100 पन्नों की पीठ पर लिखे हुए बंधों की प्रतिलिपि प्रमाण पत्र के साथ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगी ।
13. अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना सं० 3144 दिनांक 05.08.04 एवं विभागीय अधिसूचना सं० 4264 दिनांक 12.10.04 में निहित शर्तों का पालन करना होगा ।
14. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे ।
15. प्रदूषण जांच केन्द्र में वेव कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा । उपर्युक्त में से से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जायेगी ।